15.05.2019	पत्रावली पेश हुई। अपीलार्थी अनुपस्थित। राज्य लोक सूचना अधिकारी उपखण्ड अधिकारी चौमू जिला जयपुर को जरिये नोटिस क्रमांक आर.टी.आई./19/558 दिनांक 29.03.2019 द्वारा निर्देशित किया गया था कि प्रार्थी/अपीलान्ट द्वारा चाही गई सूचना प्रार्थी को उपलब्ध कराई जावे तथा अपील का बिन्दुवार उत्तर दिनांक 10.04.2019 से पूर्व इस न्यायालय को प्रेषित कराना सुनिश्चित किया जावे। उपखण्ड अधिकारी, चौमू से नोटिस का जवाब प्राप्त नही होने पर पुनः नोटिस क्रमांक 854 दिनांक 29.04.2019 जारी कर अपील का बिन्दुवार उत्तर दिनांक 15.05.2019 से पूर्व भिजवाने हेतु निर्देशित किया गया। जिसके संदर्भ में उनके द्वारा पत्रांक लो.सू./2019/400 दिनांक 29.04.2019 द्वारा जवाब प्रस्तुत कर अवगत कराया कि आवेदक से उनको मूल आवेदन प्राप्त नही हुआ था। अपील के संलग्न आवेदक के आवेदन की छाया प्रति अनुसार उनके कार्यालय के पत्रांक लो.सू./2018/391 दिनांक 22.04.2019 द्वारा सूचना उपलब्ध कराई जा चुकी है। हमने पत्रावली का अवलोकन किया। प्रार्थी द्वारा दिनांक 15.01.2019 को लोक सूचना अधिकारी उपखण्ड अधिकारी चौमू जिला जयपुर को सूचना के अधिकार के तहत सूचना उपलब्ध कराने हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत/प्रेषित किया गया था। दिनांक 18.03.2019 तक भी प्रार्थी/ अपीलान्ट को राज्य लोक सूचना अधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी, चौमू द्वारा सूचना के अधिकार के तहत सूचना उपलब्ध नही करवाने से व्यथित होकर यह अपील इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई	पालना पत्रांक जारी 997-98 29/5/19

Scanned by CamScanner

फर्द अहकाम

श्री दिनेश चन्द्र शर्मा बनाम राज्य लोक सूचना अधिकारी, एवं उपखण्ड अधिकारी, चौमू, जिला–जयपुर।

आर.टी.आई. अपील सं0 : 04/2019

दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से	विशेष विवरण
15.05.2019	है। उपखण्ड अधिकारी कार्यालय से प्राप्त पत्र दिनांक 29.04.2019 के अनुसार प्रार्थी को सूचना उपलब्ध करा दी गई है। उपखण्ड अधिकारी, चौमू द्वारा प्रेषित पत्र दिनांक 22.04.2019 के अनुसार प्रार्थी को सूचना आवेदन में विशिष्टिया स्पष्ट अंकित नही होने के कारण प्रार्थी को सूचना उपलब्ध नही कराई गई है तथा प्रार्थी को कार्यालय समयावधि में उपस्थित होकर आवेदन के संबंध में स्पष्ट जानकारी देने हेतु निर्देशित किया गया है। चूंकि राज्य लोक सूचना अधिकारी, उपखण्ड अधिकारी, चौमू द्वारा अपने पत्र में यह अंकित किया है कि प्रार्थी द्वारा प्रेषित सूचना आवेदन पत्र उनको प्राप्त नही हुआ है। जबकि प्रार्थी द्वारा पंजीकृत डाक द्वारा प्रार्थना पत्र प्रेषित किया गया है। पंजीकृत डाक से प्रेषित सूचना का अधिकार के तहत प्रार्थना पत्र को प्राप्त नही होना बताना उचित नही है। अतः अपीलार्थी की अपील को स्वीकार की जाकर राज्य लोक सूचना अधिकारी उपखण्ड अधिकारी चौमू जिला जयपुर को निर्देशित किया जाता है कि अपीलार्थी को वांछित सूचना निःशुल्क उपलब्ध करावें। इस हेतु राज्य लोक सूचना अधिकारी उपखण्ड अधिकारी चौमू, जिला जयपुर एवं प्रार्थी को पालना हेतु पत्र जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज नम्बर से कम हो। बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो। निर्णय आज दिनांक 15.05.2019 को सरे इजलास सुनाया गया। (डॉ. अशोक कुमार) प्रथम अपीलीय अधिकारी एवं अति. कलक्टर (चतुर्थ), जयपुर	

Scanned by CamScanner